



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1378]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 8, 2010/आषाढ़ 17, 1932

No. 1378]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 8, 2010/ASADHA 17, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2010

का.आ. 1631(अ).—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 29 के साथ पठित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित गठन से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन करती है :—

अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

पदेन सदस्य

1. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
3. कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, नई दिल्ली

नामित सदस्य

1. श्री किरन कार्निंक, क्यू-2ए, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016

2. प्रो. योगेन्द्र यादव, विकासशील सोसायटी के अध्ययन केन्द्र, 29, राजपुर रोड, दिल्ली-110054
3. डॉ. विनोद रैना, भारत ज्ञान-विज्ञान समिति, नई दिल्ली
4. श्री के. के. अबूबकर, एमईएस, सांस्कृतिक काम्प्लेक्स, जज एवेन्यू, कलूर, कोची-682017
5. सुश्री ऐनी नामला, सामाजिक समानता और समेकन केन्द्र, 7/24, दूसरा तल, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
6. प्रो. मृणाल मीरी, पूर्व कुलपति, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, ए-39, एनडीएसई, भाग-I, नई दिल्ली-110049
7. डॉ. अमिता ढांडा, कानून के प्रोफेसर, एनएएलएसएआर विश्वविद्यालय, हैदराबाद
8. सुश्री वेनिता कौल, शैशवकालीन देखभाल और शिक्षा केन्द्र, अंबेडकर दिल्ली विश्वविद्यालय, प्लाट नं. 13, सेक्टर-9, द्वारका, नई दिल्ली-110075
9. प्रो. कृष्ण कुमार, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना होगा ।

परिषद् के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की होगी ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा ।

[फा. सं. 1-11/2009-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT**

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2010

S.O. 1631(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 33 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act), read with Rule 29 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, the Central Government hereby constitutes the National Advisory Council as per following composition :—

Chairperson

Minister of Human Resource Development,
Government of India

Ex-officio Members

1. Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India
2. Director, National Council for Educational Research and Training, New Delhi
3. Vice Chancellor, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi
4. Chairperson, National Council for Teacher Education, New Delhi
5. Chairperson, National Commission for Protection for Child Rights, New Delhi

Nominated Members

1. Shri Kiran Karnik, Q-2A, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016

2. Prof. Yogendra Yadav, Centre for the Study of Developing Societies, 29, Rajpur Road, Delhi-110054
3. Dr. Vinod Raina, Bharat Gyan Vigyan Samiti, New Delhi
4. Shri K. K. Aboobacker, M.E.S. Cultural Complex, Judges Avenue, Kaloor, Kochi-582017
5. Ms. Annie Namala, Centre for Social Equity and Inclusion, 7/24, 2nd Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008
6. Prof. Mrinal Miri, Former Vice-Chancellor, North-East Hill University, A-39, NDSE, Part-I, New Delhi-110049
7. Dr. Amita Dhanda, Professor of Law, NALSAR University, Hyderabad
8. Ms. Venita Kaul, Head, Centre for Early Childhood Care & Education, Ambedkar University of Delhi, Plot No.13, Sector-9, Dwarka, New Delhi-110075
9. Prof. Krishna Kumar, Central Institute of Education, University of Delhi

The functions of the National Advisory Council shall be to advise the Central Government on implementation of the provisions of the RTE Act in an effective manner.

The period of tenure of the nominated members of the Council would be 2 (two) years from the date of notification.

The Department of School Education & Literacy would serve as the Secretariat to the National Advisory Council.

[F. No. 1-11/2009-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.